भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, मध्य प्रदेश।

पुनरीक्षण कमांक R 2766-II/13 वर्ष 2013

1. श्रीमती सुमित्रा बाई उम्र 32 वर्ष पेशा गृहकार्य पत्नी बुद्धू ढीमर निवासी ग्राम गुनौर, तहसील गुनौर, जिला–पन्ना (म0प्र0)

28 JUN 2013

2. बुद्धू ढीमर उम्र 40 वर्ष पेशा नौकरी पिता डिल्ली ढीमर निवासी ग्राम गुनौर, तहसील गुनौर, जिला पन्ना (म0प्र0)

—————— आवेदकगण

विरूद्ध

श्री अजय श्रीवास्तव (एड.) ... द्वारा प्रस्तुत.
सागर
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, सागर सम्भाग,
सागर (म. प्र.)

1. रामकुमार ढीमर उम्र 38 वर्ष पेशा जातीय पिता मकुन्दा ढीमर निवासी गुनौर, तहसील गुनौर, जिला–पन्ना (म0प्र0)

2. राज्य मध्य प्रदेश

—————— अनावेदकगण

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश राजस्व प्रकरण कमांक 48/अ–12/वर्ष 2012–13 आदेश दिनांक 30.04.2013 न्यायालय तहसीलदार, तहसील गुनौर, जिला–पन्ना (म0प्र0) जिसके द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण न कर नियम एवं विधि विरूद्ध सीमांकन प्रतिवेदन अन्तिम किया गया ।

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959

महोदय,

पुनरीक्षण के तथ्य एवं आधार निम्नलिखित हैं :–

पुनरीक्षण के तथ्य

01. यह कि आवेदक कमांक 2 एवं 1 पति–पत्नी है दोनों ग्राम गुनौर में रहते हैं उनकी पुश्तैनी आराजी खसरा नंबर 1134 रकवा 0.040 हे0 स्थित ग्राम गुनौर में है

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–2766–तीन/2013 जिला–पन्ना

श्रीमती सुमित्रा बाई व अन्य विरूद्ध रामकुमार व राज्य म.प्र.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. यह निगरानी तहसीलदार तहसील गुनौर, जिला–पन्ना के प्रकरण क्रमांक 48/अ–12/2012–13 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 30–04–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 06–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) सदस्य	